रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022026-270368
CG-DL-E-20022026-270368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 893] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2026/फाल्गुन 1, 1947
No. 893] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2026/PHALGUNA 1, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2026

का.आ. 935(अ).—पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का प्रयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक एवं निर्बाध रीति से सब्सिडी, हित और सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, पहचान स्थापित करने हेतु विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है:

और भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सरकार कहा गया है) के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विभाग कहा गया है) के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन भोपाल गैस पीड़ित कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अभिकरण कहा गया है) भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों की रजिस्ट्री और कार्रवाही) योजना, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त योजना कहा गया है) का प्रबंधन कर रहा है;

और गैस पीड़ितों की मृत्यु, स्थायी दिव्यांगता, अत्यधिक गंभीर चोट, कैंसर, गुर्दे की पूर्ण विफलता और अस्थायी दिव्यांगता श्रेणियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को उक्त योजना और उससे संबंधित जारी किए गए निर्देशों तथा दिशा-निर्देशों के अधीन अनुग्रह प्रतिकर (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त लाभ कहा गया है) दिया जाता है;

और उक्त योजना के लिए व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

और जबकि उक्त अभिकरण का वांछा है कि उक्त सरकार, उक्त लाभ की प्राप्ति की शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से, यह अपेक्षा करे कि ऐसा हिताधिकारी प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरे, या आधार संख्या

होने का प्रमाण प्रस्तुत करे, या ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कोई आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, नामांकन के लिए आवेदन करे;

अतः अब, भारत सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात् :

1. (1) उक्त योजना के अंतर्गत उक्त हित प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या के होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा:

परंतु यदि वह व्यक्ति बालक है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक संकक्षक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त अभिकरण ऐसे फायदाग्राहियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, या रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्र स्थापित करेगा या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

परंतु जब तक फायदाग्राही को आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती, तब तक वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करके स्थापित कर सकता है, जिनके लिए वह पात्र है और जो प्रस्तुति के समय वैध हैं, या यदि उक्त अभिकरण द्वारा पहचान के लिए प्रस्तुत किया गया या अधिकृत सॉफ्टवेयर, ऐसे दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने वाली जानकारी को तैयार करने या रखरखाव से संबंधित अधिकारियों के डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो वह ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दे सकता है, अर्थात्:—

ऐसे 18 वर्ष से कम आयु का बालक जिसे आधार नंबर आवंटित नहीं किया गया है:

(क) नामांकन केंद्र पर संचालक द्वारा फायदाग्राही के नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की पुष्टि, जिसमें नामांकन आईडी (ईआईडी) शामिल होती है; और

(ख) फायदाग्राही की आयु 18 वर्ष से कम होने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात्:—

(i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्री अधिनियम, 1969 के अंतर्गत जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि फायदाग्राही के जन्म के संबंध में जन्म पंजीयक में दर्ज प्रविष्टि से लिया गया है;

(ii) भारतीय पासपोर्ट;

(iii) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्च माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(iv) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्री बाल देखभाल संस्था में रखा गया है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(v) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(क) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड;

(ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो उसे विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(घ) यदि वह भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति है, तो उसके पास विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या

(ग) फायदाग्राही के माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके संबंध को प्रमाणित करने के लिए, फायदाग्राही की फोटो वाला निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात्:—

(i) राशन कार्ड;

(ii) राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से कम रैंक का राजस्व अधिकारी न हो;

(iii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(iv) भारतीय पासपोर्ट;

(v) मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्च माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(vi) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड बाल देखभाल संस्था में रखा गया है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(vii) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(क) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड;

(ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो उसे विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(घ) यदि वह भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति है, तो उसके पास विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या

(viii) ऐसे फायदाग्राही के संबंध में जिसका कोई विधिक संरक्षक हो, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक संरक्षण को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज हो, जो न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणतानिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण -मानसिक मंदता और बहु ,प्रमस्तिष्क घात , न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन जारी किया गया हो; या

(ix) उक्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

ऐसे फायदाग्राहियोंजिनकी उम्र , 18 **वर्ष या उससे अधिक** की है **जिन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं किया गया है**:

(क) नामांकन केंद्र पर संचालक द्वारा फायदाग्राही के नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की पुष्टि, जिसमें नामांकन आईडी शामिल होती है; और

(ख) फायदाग्राही की फोटो वाले निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:—

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता का फोटो पहचान पत्र;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से कम रैंक का राजस्व अधिकारी न हो;

(iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके कुटुंब के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्च माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र, या भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी किया गया विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी);

(ix) भारत में जारी किया गया चालक अनुज्ञप्ति;

(x) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड बाल देखभाल संस्था में रखा गया है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(क) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड;

(ख) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो उसे विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(घ) यदि वह भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति है, तो उसके पास विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या

(xii) ऐसे फायदाग्राही के संबंध में जिसका कोई विधिक संरक्षक हो, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक संरक्षण को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज हो, जो न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8),

किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणतानि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति -मानसिक मंदता और बहु ,प्रमस्तिष्क घात , कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन जारी किया गया हो; या

(xiii) उक्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

(4) उक्त विभाग द्वारा इस संबंध में अभिहीत अधिकारी खंड (3) के अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषयवस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचनाओं की जाँच करेगा,—

(क) नामांकन आईडी को मायआधार पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) पर जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करें कि नामांकन आईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेजों के लिए, और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकारी संस्था या प्राधिकरण से सहायता ले सकता है और प्रस्तुत जानकारी को उनके साथ साझा कर सकता है जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।

2. फायदाग्राहियों को उक्त लाभों का सुगमतापूर्वक लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा जिससे फायदाग्राहियों को उक्त योजना के तहत आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. यदि किसी फायदाग्राही के आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधियों (जैसे मुख छवि, फिंगर प्रिंट या आइरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) में से किसी के माध्यम से किया जाता है और यह प्रमाणीकरण किसी भी कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय अपनाए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) यदि बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण की कोई विशेष रीति सफल नहीं होती है, तो जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण की कोई अन्य पद्धति अपनाई जाएगी;

(ख) जिन मामलों में बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां उक्त योजना के अधीन लाभ, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज़ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन द्वारा आधार संख्या की प्रामाणिकता स्थापित करने के पश्चात, निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर दिए जा सकते हैं:

(i) आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात, आधार संख्या सृजित होने पर आधार धारक को जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात, आधार पत्र की पासवर्ड-सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति) युक्त आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोडजिसे भारत की विशिष्ट पहचान , प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप के (माध्यम से पहुँचा जा सकता है क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी प्रामाणिकता स्थापित होने के पश्चात।

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज़ (जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उसके एमआधार ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है), जिसकी प्रामाणिकता भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज़ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित की जाती है।

4. उपरोक्त में अंतर्दिष्ट किसी भी बात के होते हुए भी,

(क) उक्त योजना के अंतर्गत किसी बालक को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

(i) यदि वह प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरकर अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहता है या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ii) यदि नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और उसे आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत लाभ ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित करके और अनुच्छेद 1 के खंड (3) के परंतुक में निर्दिष्ट रीति से उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके दिया जाएगा; और

(ग) जहां खंड (ख) के अंतर्गत लाभ दिया जाता है, वहां इसके संबंध में एक अभिलेख रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक फायदाग्राहियों को उक्त योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित न किया जाए, अभिकरण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, तारीख 19 दिसंबर, 2017 में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगी (जो https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध है)।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. बी.एच.11011/1/2016-बी.एच.]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Department of Chemicals and Petrochemicals

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2026

S.O. 935(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas, the Office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Victims, Bhopal (hereinafter referred to as the said agency) under the administrative purview of the Department of Chemicals and Petrochemicals (hereinafter referred to as the said Department) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering the Bhopal Gas Leak Disaster (Registration and Processing of Claims) Scheme, 1985 (hereinafter referred to as the said Scheme);

And whereas, the ex-gratia compensation (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the Death, Permanent Disability, Injury of Utmost Severity, Cancer, Total Renal Failure and Temporary Disability categories of gas victims (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said Scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof;

And whereas, expenditure for the said Scheme is incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas; the said agency is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India hereby notifies the following, namely:—

2. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said Scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said agency shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said agency for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and

(b) Any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely:—

(i) certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;

(ii) Indian passport;

(iii) certificate or statement of marks of matriculation or 10^{th} class or higher secondary or 12^{th} class, issued by a recognised Board of school education;

(iv) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(v) in respect of a foreign national,—

(a) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(b) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(c) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(d) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

c. Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely:—

(i) ration card;

(ii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;

(iii) medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(iv) Indian passport;

(v) certificate or statement of marks of matriculation or 10^{th} class or higher secondary or 12^{th} class, issued by a recognised board of school education;

(vi) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(vii) in respect of a foreign national,—

(A) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(B) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(C) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(D) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(viii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(ix) any other document as the said Department may specify.

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID; and

(b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—

(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;

(ii) ration card;

(iii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;

(iv) medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(v) Indian passport;

(vi) certificate or statement of marks of matriculation or 10^{th} class or higher secondary or 12^{th} class, issued by a recognised board of school education;

(vii) identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;

(viii) disability certificate issued by notified medical authority under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;

(ix) driving licence issued in India;

(x) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by child care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(xi) in respect of a foreign national,—

(A) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(B) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(C) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(D) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(xii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(xiii) any other document as the said Department may specify.

(4) An officer designated by the said Department in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

(a) the status of the enrolment request by submitting the Enrolment ID on myAadhaar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the Enrolment ID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said Scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

((b) in cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said Scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:

(i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.,* the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.,* the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of Unique Identification Authority of India or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of Unique Identification Authority of India or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India on the document through the application developed by the Ministry or Department or Scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of Unique Identification Authority of India.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—

(a) benefit under the said Scheme shall not be denied to a child—

i. in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or

ii. in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and

(b) benefit under the said Scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and

(c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department.

5. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said Scheme, the agency shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).

6. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. BH.11011/1/2016-BH]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.20 16:57:44 +05'30'